संख्या:140/2026/881/35-4-2026/35-4099/27/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 15 मई, 2026

विषय: जनपद गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्रांक-46/त्व0आ0वि0यो0/2026-27, दिनांक 13 अप्रैल, 2026, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि नियोजन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-8/2026/301/35-4-2026/ 35-4099/27/2024, दिनांक: 23 मार्च, 2026 द्वारा जनपद गोरखपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 10 कार्यों की देय अवशेष धनराशि रु. 2,34,86,000/-(रूपये दो करोड चौतीस लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। परन्तु ग्रिड (वित्तीय आवंटन) नहीं होने के कारण उक्त धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जा सकी। तत्क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 23 मार्च, 2026 द्वारा स्वीकृत 10 कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि को दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-8/2026/301/35-4-2026/35-4099/27/2024, दिनांक: 23 मार्च, 2026 द्वारा जनपद गोरखपुर में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 10 कार्यों की देय अवशेष धनराशि रु. 2,34,86,000/-(रूपये दो करोड चौतीस लाख छियासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त किये जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि को आहरित किये जाने में किसी भी दशा में द्विरावृत्ति (duplicacy) नहीं होने पाये।

4- प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 23 मार्च 2026 की शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-140/2026/881(1)/35-4-2026/35-4099/27/2024-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य संचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ०प्र०।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
14. अधिशासी अभियंता, नगर निगम, गोरखपुर।
15. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन ।
16. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
17. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in